

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-10/2014-

/कृ०, पटना, दिनांक

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सुरेश सिंह,
मेसर्स जी० एस० पी० क्रॉप साइंस प्रा० लि०,
201, सरोज टावर, जमाल रोड पटना 800007

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 97-98 दिनांक 25.04.2014 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजात तथा सहायक निदेशक (पौ० सं०), पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत जी० एस० पी० क्रॉप साइंस प्रा० लि० के विनिर्माण स्थल से विनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि 31.12.2016 तक के लिए नवीकरण किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Acephate 75% S.P	33	Indoxacarb 14.5% SC
2	Acetamiprid 20% SP	34	Lambda Cyhalothrin 10% WP
3	Alphamethrin 10%EC	35	Lambda Cyhalothrin 2.5% EC
4	Captan 50%W.P.	36	Lambda Cyhalothrin 5% EC
5	Captan 75% WS	37	Mancozeb 64%+Metalaxyl 8% WP
6	Carbendazim 12% +Mancozeb 63% (WP)	38	Mancozeb 75%WP
7	Carbendazim 50% WP	39	Metalaxyl 35% WS
8	Carbofuran 3% CG	40	Methyl Parathion 2% DP
9	Carbosulfan 25% EC	41	Methyl Parathion 50% EC
10	Cartap Hydrochloride 4% GR	42	Monocrotophos 36% SL
11	Chlorpyrifos-16%+Alphamethrin 1% EC	43	Phorate 10% G
12	Chlorpyrifos-1.5% DP	44	Piroxofop-propinyl (Clodinafop-Propinyl) 15%WP
13	Chlorpyrifos-20% EC	45	Pretilachlor 50%EC
14	Chlorpyrifos-50% EC	46	Profenopos 50% EC
15	Chlorpyrifos-50% +Cypermethrin 5%EC	47	Propiconazole 25%EC
16	Cypermethrin 10%EC	48	Profenofos 40%+Cypermethrin 4% EC
17	Cypermethrin 25%EC	49	Quinalphos 1.5% DP
18	Deltamethrin 2.5%WP	50	Quinalphos 25% EC
19	Deltamethrin 2.8%+ EC	51	Spinosad 45% SC
20	Deltamethrin 1% +Triazophos 35% EC	52	Sulfosulfuron 75%WG
21	Dimethoate 30% EC	53	Thiamethoxam 70%WS
22	Ethion 40%+ Cypermethrin 5%EC	54	Thiamethoxam 25%WG
23	Ethion 50% EC	55	Thiram 75%WS
24	Fenvalerate 0.4%DP	56	Triazophos 20%EC
25	Fenvalerate 20% EC	57	Triazophos 40%EC
26	Fipronil 5 % SC	58	Tricyclazole 75%WP
27	Glyphosate 41% SL	59	Paraquate Dichloride 24%SL
28	Hexaconazole 5% EC	60	Dichlorvos 76%EC
29	Imidacloprid 17.8%SL	61	Hexaconazole 5%SC
30	Imidacloprid 30.5%SC	62	Pendimethalin 30%EC
31	Imidacloprid 48%F.S	63	Atrazine 50%WP
32	Imidacloprid 70%WG	64	Buprofezin 25%EC

65	Bifenthrin 10%EC	82	Bifenthrin 2.5 %EC
66	Cartaphydrochloride 50%SP	83	Carboxin 37.5%+Thiram 37.5%DS
67	Fipronil 0.3%GR	84	Cypermethrin3%+Quinalophos 20%EC
68	Fenpyroximate5%EC	85	Carboxin 75%WP
69	Imazethapyr 10% SL	86	Carbendazim 46.27%SC
70	Imidacloprid 70%WS	87	Difenoconazole 25%EC
71	Permethrin 25%EC	88	Oxyflutofen 23.5%EC
72	Thiamethoxam 30%FS	89	Propargite 57%EC
73	Ammonium Salt of Glyphosate 71%SG	90	Sulphur 40%SC
74	2-4-D Amine Salt 58%SL	91	Vaildamycin 3%L
75	Captan 70%+ Hexaconazole 5%WP	92	Thiodicarb 75%WP
76	Diafenthurion 50%WP	93	Tebuconazole 2%DS
77	Metribuzin 70%WP	94	Thiophanate-methyl 70%WP
78	Metsulfuron methyl 20%WP	95	Ziram 27%SC
79	Acephate 50%+Imidacloprid 1.8%SP	96	lambda Cyhalothrin 4.9%CS
80	Alpha Naphtyl acetic acid 4.5%SL	97	Tebuconazole 25.9%EC
81	Anilofos 24%+2-4-D ethyl ester 32%(EC)		

2-उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा-जी0 एस0 पी0 क्रॉप साईंस प्रा0 लि0, H/O-संजीव कुमार, मसौढ़ी रोड, बड़ी पहाड़ी पटना-800007.

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या 97-98 दिनांक 25.04.2014 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2257

/क0, पटना, दिनांक 16-05-2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।